कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर
पत्रांक 1985/14–10(40150) सहारनपुर 18 दिनांक दिसम्बर 2020

सेवा में

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषय– जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग, लक्सर–पुरकाजी (एन0एच0–334ए) कि0मी0 0.00 से कि0मी0 18.089 के चौड़ीकरण हेतु 0.21 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 89 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमति। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Road/40150/2019)

संदर्भ– आपका पत्रांक 1783/14–1 दिनांक 18.12.2020

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित विषयांकित प्रस्ताव निम्नांकित त्रुटियों के कारण मूल में वापस किया जाता है–

1– ऑन लाइन अपलोड की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना पर सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी, का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं है।
2– ऑन लाइन अपलोड किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित डिजिटल मैप एवं टोपो शीट पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं किन्तु नाम अंकित नहीं किया गया है।
3– ऑन लाइन अपलोड की गई संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं बाधक वृक्षों की सूची पर प्रयोक्ता एजेन्सी की ओर से सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गये है किन्तु दिनांक एवं नाम अंकित नहीं किया गया है, व क्षेत्रीय वन अधिकारी का नाम भी अंकित नहीं है।
4– अपलोड की गई, प्रभागीय निदेशक की साइट इन्सपेक्शन रिपोर्ट के कालम "The requirement of forest land as proposed by the user agency on col-2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project." में yes/no अंकित नहीं है तथा "It has been found that the user agency has violated the forest (conservation, Act 1980 provisions. detailed report as per Para 1.9 of chapter1 Para C of Handbook of forest (conservation) A1980 is attached में (X) अंकित है जबकि इस कालम में (N.A) अंकित किया जाना चाहिये।
5– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1428/11–सी दिनांक 16.12.2020 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
6– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल फरखपुर वन ब्लाक हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं स्पष्ट करें, यदि उक्त स्थल हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तो प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव का अनुमोदन प्राप्त करते हुये, प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
7– प्रस्ताव के साथ पार्ट–3, पार्ट–4 एवं 5 से सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न नहीं किये गये हैं, कृपया उक्त प्रपत्रों को संलग्न करते हुये प्रस्ताव का इण्डेक्स/पृष्ठ कमांक सूची संशोधित करना सुनिश्चित करें।

अतः प्रस्ताव मूल में इस आशय से वापस किया जाता है, कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये संशोधित प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

अग्रप्रेषित

(सुरेश चन्द्र पाण्डे)
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक
सहारनपुर वृत्त
सहारनपुर

भवदीय,

(एन0के0जानू)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

पत्रांक– /14–10 दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0डिवीजन, पी0डब्लू0डी0 गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0के0जानू)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर

Scanned with CamScanner